फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सज्जनकुंवर — **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 40/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 16.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां व राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीयां द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां का नाम संजुकुंवर पुत्री भोपसिंह गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत नूरडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2020, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास–बुक प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में संजुकुंवर पिता भोपसिंह दर्ज हैं। जबकि प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम सज्जनकुंवर पत्नी हमेरसिंह अंकित है। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत नूरडा का प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2020 में भी ग्राम पंचायत द्वारा सज्जनकुंवर उर्फ संजुकुंवर पत्नी हमेरसिंह एक ही महिला होकर इस नाम की गांव में कोई दूसरी महिला नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर कोई उजर ऐतराज नहीं किया। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थीयां का सही नाम सज्जनकुंवर होना जाहिर आया हैं। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा मण्डप पटवार हल्का पलानाखुर्द की आराजी नम्बर 160, 178, 181, 182, 191, 197, 202, 246, 407, 408, 498, 499, 500, 506, 510, 511, 512, 538, 543 किता 19 रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा भूमि में खातेदार संजूकुंवर पिता भोपसिंह के बजाय सज्जनकुंवर उर्फ संजूकुंवर पिता भोपसिंह संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।
निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.04.05 16:56:46 IST
Reason: SelfAttested